न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —392/2024

अनवान : —

1. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

— वादी

बनाम

1. अमजद खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
2. अहमद अली पुत्र अली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
3. आमिन खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
4. बलकीशा पत्नी शमशेर जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
5. महबुब खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
6. युनस खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
7. सफी मोहम्मद पुत्र सलेमान जाति लिलगर साकिन जोगीआसन कन्दोई हॉस्पीटल के पास नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 26/12/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सींव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा अनुसार अच्छी में अच्छी व मंदी में से मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई म[illegible] की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता [illegible] तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 8 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही । वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 –

1 प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार– **प0न0 323/444 (71) के किला न0 14 की 0.1265, 17 की 0.253, 24 की 0.253 कुल 0.6325 हैक्ट**

2 सफी मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति लीलगर सा0 जोगी आसन 1/3 हि0, अहमद अली पुत्र अली मोहम्मद 1/3 हि0, अमजद खा, आमीन खां, महबुब खां, युनस अली, याकुब खां पुत्र बली मोहम्मद बहिब 5/18 हिस्सा, बलकीशा पत्नी शमशेर 1/18 हि0 जाति कुम्हार सा0 नोहर खातेदार– **प0न0 323/444(71) किला न0 4 ता 6 की 0.759, 7 की 0.1265 हैक्ट, 15, 16, 25 की 0.759 हैक्ट कुल 1.8975 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –392/2024

अनवान : –

1. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम

1. अमजद खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
2. अहमद अली पुत्र अली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
3. आमिन खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
4. बलकीशा पत्नी शमशेर जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
5. महबुब खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
6. युनस खां पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी धक्का बस्ती वार्ड न0 32 नोहर तहसील नोहर।
7. सफी मोहम्मद पुत्र सलेमान जाति लिलगर साकिन जोगीआसन कन्दोई हॉस्पीटल के पास नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 392 सन 2024 निर्णय दिनांक – 26/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 115/105 –

1 प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार– **प0न0 323/444 (71) के किला न0 14 की 0.1265, 17 की 0.253, 24 की 0.253 कुल 0.6325 हैक्ट**

2 सफी मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति लीलगर सा0 जोगी आसन 1/3 हि0, अहमद अली पुत्र अली मोहम्मद 1/3 हि0, अमजद खा, आमीन खां, महबुब खां, युनस अली, याकुब खां पुत्र बली मोहम्मद बहिब 5/18 हिस्सा, बलकीशा पत्नी शमशेर 1/18 हि0 जाति कुम्हार सा0 नोहर खातेदार– **प0न0 323/444(71) किला न0 4 ता 6 की 0.759, 7 की 0.1265 हैक्ट, 15, 16, 25 की 0.759 हैक्ट कुल 1.8975 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड [illegible] पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर [illegible] नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested